न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	आदेश तिथि
15/2020	प्रा.पत्र 251-A RTA	21.09.2020	22.02.2022

दलीपसिंह पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी बास ढाकान तहसील व जिला चूरू
—प्रार्थी—

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र भैराराम जाति जाट जिवासी बास ढाकान तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री रामप्रसाद प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत व सरजीवणसिंह अप्रार्थी सं. 1 अनु.।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 सगे भाई हैं, ग्राम बास ढाकान तहसील व जिला चूरू के निवासी हैं। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि जिसके वर्तमान ख.नं. 1308/1064 रकबा 3.4778 हैक्टेयर खाता सं. नया 99 व पुराना 252 रोही लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू में स्थित है व अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि ख.नं. 1307/1064 व 1062/482 रकबा 3.0098 व 0.3414 हैक्टेयर रोही लोहसना बड़ा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपने खेत ख.न. 1308/1064 रकबा 3.4778 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना बड़ा में आने जाने हेतु मुख्य सड़क बास ढाकान से लोहसना बड़ा, दूधवा खारा स्टेशन जाने वाली सड़क से अप्रार्थी सं. 1 बजरंगलाल सगे भाई के खेत के ख.नं. 137/1064 के पश्चिमी सींव के नजदीक नजदीक से रास्ते होकर प्रार्थी अपने खेत में भाई बंटवारे के बाद से करीब 15—20 वर्षों से आना जाना उपयोग उपभोग सुविधापूर्वक करता चला आ रहा है। प्रार्थी का यह रास्ता अपने अविभाजित खेत ख.नं. पुराना 1064 व खाता सं. 252 में से है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 के आपसी भाई बंटवारे व विभाजन के समय रखा जाकर चला आ रहा है जो बंटवारे व विभाजन में मौखिक रूप से मुख्य सड़क से ख.नं. 1307/1064 में से पश्चिमी सींव के पास से होकर लघुतम व नजदीक की रूट के रास्ते [illegible] ख.नं. 1308/1064 में सुविधापूर्वक करता रहेगा। मुख्य सड़क के ख.नं. 1065/[illegible] व [illegible]/482 है प्रार्थी वर्षों से कायम रास्ता से आना जाना उपयोग उपभोग [illegible] राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नहीं है। प्रार्थी का यह रास्ता मुख्य स[illegible] 1307/1064 की पश्चि[illegible] के नजदीक नजदीक होकर वादी प्रार्थी की कृषि भूमि ख.नं. [illegible]/1064 में जाता है। [illegible] अप्रार्थी सं. 1 को कोई असुविधा नहीं है रास्ता बाबत नजरिया नक्शा साथ संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतु यही एक मार्ग है जिससे वर्षों से आना जाना करता चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 15.07.2020 को प्रार्थी को जुबानी तौर पर मना किया

उपखण्ड अधिकारी

कि आप मेरे खेत की पश्चिमी सींव के पास में से अपने खेत में आना जाना नहीं करें आज तक तो आते रहे हैं मगर अब आगे से आना जाना नहीं करें तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी को एलानिया धमकी दी है कि हम रास्ते को जबरदस्ती रोक देंगे। रास्ता बन्द करने की शिकायत प्रार्थी द्वारा तहसीलदार महोदय, चूरू को की गई जिन्होंने रास्ता राजस्व रिकार्ड में काटने व नया मार्ग घोषित के लिए कहा गया। प्रार्थी उक्त रास्ते से होकर अपने खेत में 15–20 वर्षों से आना जाना करता चला आ रहा है प्रार्थी के उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में काटा जावे। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत कृषि भूमि लोहसना बड़ा में आने जाने की सुविधा हेतु अधिकार प्राप्त है अप्रार्थी को कोई असुविधा नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 15.07.2020 को मुख्य सड़क से खेत ख.नं. 1307/1064 रोही लोहसना बड़ा की पश्चिमी सींव में से होकर जाने वाले रास्ते से आने जाने हेतु प्रार्थी को मना किया इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 15.07.2020 से प्रार्थना पेश करने का आधार व कॉज ऑफ एक्शन हासिल है। यह कि अप्रार्थी सं. 2 तहसीलदार, चूरू के खिलाफ प्रार्थी द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है किन्तु अप्रार्थी को पक्षकार इसलिए बनाया गया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड अंकन बाबत समस्त कार्यवाही अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा ही की जानी है। इसलिए अप्रार्थी बनाया गया है। उक्त खसरों की कृषि भूमि रोही लोहसना बड़ा तहसील व जिला चूरू में होने व प्रार्थी व अप्रार्थी बास ढाकान (चूरू) के निवासी होने के कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में उचित कोर्ट फीस व अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है। अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न अनुतोष के साथ आदेश फरमाया जावेः–

(क) यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नं. 1308/1064 रकबा 3.34478 हैक्टेयर में आने जाने, कृषि उपयोग उपभोग हेतु मुख्य सड़क बास ढाकान से दूधवा खारा स्टेशन जाने वाली से अप्रार्थी सं. 1 के खेत ख.नं. 1307/1064 रकबा 3.0098 हैक्टेयर लोहसना बड़ा के खेत के पश्चिमी सींव के नजदीक नजदीक लधुतम व निकटतम रूट से नया मार्ग रास्ता खोजा जाकर कटानी रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के लिए आदेश कर तहसीलदार, चूरू को पाबन्द किया जावे।

(ख) यह कि अन्य अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो या दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र हो जावे, प्रार्थी को अप्रार्थी से दिलवाया जावे।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री भीमसिंह शेखावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी 2 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से [illegible] आदेश 26 नियम 9 सीपीसी मौका कमिश्नर नियुक्ति करने बाबत पेश किया। [illegible] ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 1 की ओर से [illegible] वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली का ध्यान से अवलोकन किया गया एवं बहस [illegible] तथ्यों पर मनन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि प्रकरण धारा 251 (क) सम्मरी इन्क्वायरी का है जिसमें मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रकरण में तहसीलदार से धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत ही मौका रिपोर्ट ली जाती है, न कि मौका कमिश्नर से। इस प्रकरण में धारा 251 (क) के प्रावधानों के तहत तहसीलदार, चूरू से मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी है, इसलिए मौका कमिश्नर

उपखण्ड अधिकारी

नियुक्त किया जाना आवश्यक नहीं होने से अप्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र इस प्रकरण में पोषणीय नहीं होना पाया गया। अतः अप्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। तहसीलदार, चूरू को धारा 251 (क) के विधिक प्रावधानों के तहत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट सहित रास्ता बाबत पूर्ण प्रस्ताव मय स्पष्ट अभिशंषा के पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार, चूरू से दिनांक 03.05.21 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं. 1 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। तत्पश्चात् कोरोना संक्रमण के बढने से कोर्ट कार्य सुचारू नहीं रह पाया तथा पत्रावली जवाब व बहस मौका रिपोर्ट में लम्बित रही। कोर्ट कार्य सुचारू होने पर तारीख पेशी दिनांक 14.02.2022 को अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र व बहस हेतु कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर अप्रार्थी सं. 1 एवं उनके अधिवक्ता को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहे। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी का जवाब बन्द होने पर वकील प्रार्थी ने बहस का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत कृषि भूमि पुराना ख.नं. 1064 रोही मौजा लोहसना बड़ा पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की रही है जिसका खाता विभाजन होकर दोनों के खाते व खसरे राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग कायम किये जा चुके हैं जिनके नये खसरा नम्बर क्रमशः 1307/1064 व 1308/1064 कायम हुए हैं। खाता विभाजन के समय प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता अप्रार्थी सं. 1 के खेत की पश्चिमी सींव के पास से होना मौखिक रूप से तय किया गया था इसलिए विभाजन के बाद से निरन्तर प्रार्थी आवागमन करता रहा है परन्तु अब अप्रार्थी सं. 1 ने इस रास्ते से आने जाने हेतु मना कर दिया है तथा उक्त रास्ता जबरन बन्द करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु यही एकमात्र रास्ता है अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता कायम करवाने हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब भी पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी के खातेदारी खेत ख.नं. 1308/1064 में आने जाने हेतु निकटतम रास्ता अप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत ख.नं. 1307/1064 की पश्चिमी सींव के पास से ही है तथा तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश मौका रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने खातेदारी खेत [illegible] 1308/1064 रोही मौजा लोहसना बड़ा में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 [illegible] व 1307/1064 रोही मौजा लोहसना बड़ा के मध्य से बास [illegible] सड़क से ख.नं. 1307/1064 की पश्चिमी सींव के सहारे उत्तर से दक्षिण ख.नं. 1308/1064 तक रास्ते की मांग की है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को पक्षकार बनाया है तथा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं परन्तु जवाब हेतु काफी अवसर दिये जाने के बावजूद न तो जवाब पेश किया है तथा अप्रार्थी की ओर से बहस के समय भी कोई उपस्थित नहीं आया है जिससे अप्रार्थी सं. 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। वादगत कृषि भूमियों की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

लोहसना बड़ा के खाता संख्या 99, 161 के अवलोकन से जाहिर होता है कि खाता नं. 99 ख.नं. 1308 / 1064 तादादी 3.4778 हैक्टेयर प्रार्थी की व खाता सं. 161 ख.नं. 1062 / 482, 1307 / 1064 तादादी 0.3414 व 3.0098 हैटेक्यर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमियां हैं। नकल नक्शा के अवलोकन से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कृषि भूमियों का पूर्व में पुराना खसरा नम्बर 1064 का भाग होना जाहिर होता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क–ए में चाहा गया रास्ता दर्शित है जो कि सड़क के ख.नं. 1065 / 770 से ख.नं. 1307 / 1064 की पश्चिमी सींव के सहारे उत्तर से दक्षिण ख.नं. 1308 / 1064 की उत्तरी–पश्चिमी सींव तक चाहा गया है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जो पटवारी हल्का लोहसना बड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक सिरसला एवं नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई है, जिसके बिन्दु सं. 1 में अंकित आया है कि प्रस्तावित रास्ता आत्यन्तिक है। जोत ख.नं. 1308 / 1064 में जाने के लिए सड़क बास ढाकान से दूधवा खारा जाने वाली के चिपते ख.नं. 1307 / 1064 में से होकर जाने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अतः उक्त डामरीकृत सड़क से खातेदार दलीपसिंह के खेत ख.नं. 1308 / 1064 तक रास्ता दिया जाना आवश्यक है। बिन्दु सं. 2 में अंकित आया है कि नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता 'सी' से 'डी' मौके पर देखने से प्रतीत होता है कि वर्षा ऋतु के समय (फसल तैयार होने तक) इस रास्ते को भी काश्त कर लिया जाता है। अतः जोत के लिए वैकलिपक साधन का अभाव है। बिन्दु सं. 3 में अंकित आया है कि संलग्न नजरी नक्शा में बिन्दु सं. 'ए' से 'बी' प्रस्तावित रास्ता जो डामरीकृत सड़क बास ढाकान से दूधवा खारा जो ख.नं. 1062 / 482 व ख.नं. 1307 / 1064 के बीच से निकलती है, से ख.नं. 1307 / 1064 की पश्चिमी सीमा के सहारे 'ए' से 'बी' बिन्दु तक (नजरी नक्शानुसार) जिसका क्षेत्रफल 343 वर्गमीटर है, लघुतम रास्ता है। बिन्दु सं. 4 में अंकित आया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों दिनांक 27.04.2021 को मौके पर बुलवाए गये। अप्रार्थी बजरंगलाल के कहने पर ही दूसरे रास्ते 'सी' से 'डी' जो घुमावदार है तथा लम्बा है, का प्रस्ताव भी नजरी नक्शे में बनाया गया परन्तु अप्रार्थी बजरंगलाल इसके बावजूद भी फर्द मौका व नजरी नक्शा पर हस्ताक्षर करने से इन्कार हो गया। प्रस्ताव भी प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों की उपस्थिति में ही तैयार किये गये परन्तु अप्रार्थी बजरंगलाल हस्ताक्षर करने से इन्कार हो गया। बिन्दु सं. 5 में अंकित आया है कि पैरा सं. 4 में वर्णित आशय का अंकन फर्द मौका में भी कर दिया गया है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में मार्क 'ए' से 'बी' व मार्क सी से डी दो प्रस्तावित रास्ते दर्शित किये गये हैं। नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय बनाये गये फर्द मौका में वही तथ्य अंकित किये हैं जो मौका रिपोर्ट में अंकित किये गये हैं। फर्द मौका व मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी दलीपसिंह, पटवारी हल्का लोहसना बड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षक सिरसला एवं नायब तहसीलदार, दूधवा खारा के हस्ताक्षरों के साथ एक अन्य व्यक्ति मेजरी [illegible] की उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। फर्द मौका व मौका रिपोर्ट में अंकितानुसार अप्रार्थी बजरंगलाल मौके पर उपस्थित था परन्तु अप्रार्थी ने फर्द मौका व मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट उभय पक्षकारों को विधिवत सूचना दी जाकर उभय पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर भिजवाई गई है तथा मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की सहमति है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा भिजवाई गई मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव फर्द मौका व नजरी नक्शे के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि नायब

उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से होती है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए चाहे गये रास्ते की प्रार्थी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन (मार्ग) का अभाव है तथा प्रार्थी द्वारा सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया है क्योंकि प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। वादगत कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि हैं। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधनों का अभाव है। साथ ही प्रस्तावित रास्ता केवल आवश्यकता के लिए चाहा गया है न कि सुविधा के लिए तथा प्रस्तावित रास्ता निकटतम व लघुतम है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत प्रावधान है कि दिया जाने वाला रास्ता 30 फुट से अनधिक चौड़ाई वाला होगा। नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा प्रस्तावित रास्ता 5.044 मी. (16.5 फीट) चौड़ाई वाला दर्शित किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी इसकी मांग प्रार्थी द्वारा नहीं की गई है परन्तु वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व रास्ता प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है। इसलिए नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा प्रस्तावित 5.044 (16.5 फीट) मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि अप्रार्थी सं. 1 की तुलनात्मक रूप से कम भूमि रास्ते में जाये। प्रार्थी रास्ते में जाने वाली कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को करने हेतु तैयार हैं। अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि सड़क पर अवस्थित है तथा ग्राम लोहसना बड़ा की सड़क पर स्थित कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर 335969/— रूपये प्रति हैक्टेयर है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.ए. के प्रावधानों में कवर होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1308/1064 तादादी 3.4778 हैक्टेयर रोही ग्राम लोहसना बड़ा में आवागमन हेतु नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकितानुसार बास ढाकान से दूधवा खारा जाने वाली सड़क से दक्षिण में अप्रार्थी सं. 1 बजरंगलाल के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1307/1064 तादादी 3.0098 हैक्टेयर रोही मौजा लोहसना बड़ा की पश्चिमी सीमा के सहारे उत्तर से दक्षिण 68 × 5.044 मीटर = कुल 343 वर्गमीटर का गै.मु. रास्ता कटानी अंकित करते हुए राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाकर नक्शा में तरमीम की जावे। प्रार्थी को ग्राम लोहसना बड़ा की सड़क पर डी.एल.सी. दर 335969/— रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से गै0मु0 रास्ते में जाने वाली ख.नं. 1307/1064 की 343 वर्गमीटर (0.0343 हैक्टेयर) कृषि भूमि की दुगुनी राशि 23047/— रूपये अप्रार्थी सं. 1 को अदा कर प्राप्ति रसीद तहसीलदार, चूरू को देने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से रास्ते की एवज राशि के भुगतान की सुनिश्चितता करते हुए प्रस्तावित रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें। नायब तहसीलदार, दूधवा खारा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा भविष्य में आदेश का भाग माना जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:14 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू